क्रम-संख्या--18

रजि0 नं0 एल0डब्लू0/एल0पी0 890

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एण्ड कन्सेशनल र

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 12 जनवरी, 2000

पौष 22, 1921 शक सम्वत्

## उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 114/सत्रह-वि-1--1 (क)-34-1999

लखनऊ, 12 जनवरी, 2000

### अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 11 जनवरी, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

(2) यह 25 नवम्बर, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

अधिनियम संख्या 21 सन् 1860 की धारा 3 का संशोधन

2—सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में उपधारा (1) में,—

(क) शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"परन्तु राज्य सरकार, समय-समय पर, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस उपधारा के अधीन संदेय फीस को बढ़ा सकती है :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार अपने विवेक से प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण के विरुद्ध आक्षेप, यदि कोई हो, को आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक सूचना या ऐसे व्यक्तियों जिन्हें वह उपयुक्त समझे, को सूचना जारी कर सकेगा और सभी ऐसे आक्षेपों पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व प्राप्त करे।"

धारा 3-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3-क में;—

(एक) उपधारा (3) में, खण्ड (क); (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(क) धारा 3 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस के समान फीस या; दो सौ रुपये जो भी कम हो, यदि ऐसा आवेदन-पत्र उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत दाखिल किया जाता है :

परन्तु राज्य सरकार, समय-समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस खण्ड के अधीन संदेय फीस को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए बढ़ा सकेगी कि इस प्रकार से बढ़ाई गई फीस, धारा 3 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस से अधिक न हो;

(ख) चालीस रुपये की अतिरिक्त फीस या ऐसी उच्चतर फीस, जो खण्ड (क) के अधीन संदेय फीस के एक बटा पांच से अधिक न हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक मास के अन्तर्गत दाखिल किया जाता है; और

(ग) प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए बीस रुपये की दर पर अतिरिक्त फीस या ऐसी उच्चतर अतिरिक्त फीस प्रत्येक मास के लिए, जो खण्ड (ख) के अधीन संदेय अतिरिक्त फीस के आधे से अनधिक हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के एक मास के पश्चात् दाखिल किया जाता है।"

(दो) उपधारा (5) में, परन्तुक में शब्द "दो सौ रुपये की फीस" के स्थान पर शब्द "चार सौ रुपये की फीस या ऐसी उच्चतर फीस, जो उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन संदेय अतिरिक्त फीस के दस गुना से अनधिक हो और जिसे, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय," रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी; उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 114 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-34-1999

*Dated Lucknow, January 12, 2000*

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Society Registrikaran (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 11, 2000.

# THE SOCIETIES REGISTRATION (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. Act No. 8 of 2000)

*[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]*

AN

ACT

*further to amend the Societies Registration Act, 1860 in its application to Uttar Pradesh.*

It is hereby enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 25, 1999.

Amendment of section 3 of Act no. 21 of 1860

2. In section 3 of the Societies Registration Act, 1860, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1),—

(*a*) *for* the words "five hundred rupees" the words "one thousand rupees" shall be *substituted* ;

(*b*) *for* the existing proviso the following provisos shall be *substituted*, namely :—

"Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, increase from time to time the fee payable under this sub-section :

Provided further that the Registrar may, in his discretion, issue public notice or issue notices to such persons as he thinks fit inviting objections, if any, against the proposed registration and consider all objections that may be received by him before registering the society."

Amendment of section 3

3. In section 3-A of the principal Act,—

(*i*) in sub-section (3), *for* clauses (*a*), (*b*) and (*c*) the following clauses shall be *substituted*, namely:—

"(*a*) a fee equal to the registration fee payable under section 3 or rupees two hundred, whichever is less, if such application is filed within the period specified in sub-section (2):

Provided that the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, increase from time to time the fee payable under this clause subject to the condition that the fee so increased shall not exceed the registration fee payable under section 3;

(*b*) an additional fee of forty rupees or such higher fee not exceeding one-fifth of the fee payable under clause (*a*) as may be notified by the State Government, if such application is filed within one month of the date of expiration of the period specified in sub-section (2); and

(*c*) an additional fee at the rate of twenty rupees per month or part thereof, or such higher additional fee per month not exceeding half of the additional fee payable under clause (*b*) as may be notified by the State Government, if such application is filed beyond one month of the expiration of the period specified in sub-section (2)."

(*ii*) in sub-section (5), in the proviso *for* the words "two hundred rupees" the words "four hundred rupees" or such higher fee not exceeding ten times of the additional fee payable under clause (*b*) of sub-section (3) as may be notified by the State Government from time to time shall be *substituted*.

Repeal and savings

4. (1) The Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1999 is hereby repeled.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were inforce at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
*Pramukh Sachiv.*

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 251 सा० विधा०--(1842)--2000--850 (मेक०)।